भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 364

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल और औषधालय

364. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री संजय जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य में चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालायों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त निगम के अंतर्गत आज की तिथि में लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य योजना के तहत लाभार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या की तुलना में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक अस्पताल और औषधालय खोलने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ङ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा संचालित अस्पतालों में अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं का मानक बेहद खराब है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(छ) सरकार द्वारा उक्त अस्पतालों में अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने और लाभार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदन उठाए गए हैं;
(ज) क्या देश में निजी कंपनियों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों को कर्मचारी बीमा निगम की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं;
(झ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ञ) यदि नहीं, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ञ): महाराष्ट्र राज्य में 15 कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल और 104 ईएसआई औषधालय हैं। सभी औषधालय राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। राज्य में कराबी लाभाथयों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

जारी..2/-

कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों की चिकित्सा देखरेख चिकित्सा अवसंरचना के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है जिसमें पूरे देश में 161 कराबी अस्पताल, 1574 औषधालय, 104 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ), 927 बीमा चिकित्सक क्लीनिक (आईएमपी) और अन्य संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है; कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को कैशलेस अंतरंग चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक/निजी अस्पतालों के साथ समझौता किया गया है, यदि किसी विशेष अस्पताल में ईएसआई अस्पताल या इन-हाउस चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो देश में पीएमजेएवाई सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं:

- ईएसआईसी अस्पतालों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि।
- ईएसआईसी/ईएसआई स्कीम (ईएसआईएस) अस्पतालों में बिस्तर अधिभोग 70% से अधिक होने पर बिस्तर क्षमता में लगातार पिछले तीन वर्षों से 50% की वृद्धि।
- राज्य ईएसआई समितियों का गठन ताकि राज्यों को चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए निर्णय लेने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता हो।
- राज्य ईएसआई योजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के तहत अतिरिक्त बजट का आवंटन।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकार को प्रति वर्ष 200 रुपये प्रति आईपी प्रदान करता है, जहां पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पतालों में बिस्तर अधिभोग 70% से अधिक है।
- ईएसआईसी में उपकरण नीति, मानव संसाधन मानदंडों का गठन।

ईएसआई अधिनियम संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो ईएसआई अधिनियम की मौसमी कारखानों के अलावा धारा 1(5) और 2(12) (सरकार से संबंधित कारखानों सहित) के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र में 21,000 रुपये प्रति माह (पीडब्ल्यूडी के लिए 25,000 रुपये) तक मजदूरी आहरित करते हैं। इस प्रकार कार्यान्वित क्षेत्रों में कवर की गई इकाइयों में काम करने वाले संगठित क्षेत्र के कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आते हैं।

ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठानों/ कामगारों की कवरेज बढ़ाने के लिए, ईएसआईसी ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. दिनांक 01.07.2019 से ईएसआई अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना।

ii. ईएसआईसी में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का ऑनलाइन पंजीकरण।

iii. ईएसआई कवर क्षेत्रों का नियमित सर्वेक्षण करना।

iv. कवर न की गई यूनिटों की कवरेज के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाना।

v. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम विभागों, क्लस्टर मैपिंग आदि सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संगठनों से आंकड़ों का संकलन/मिलान किया जाता है।

*

*****

अनुबंध

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल और औषधालय के संबंध में श्री विनायक भाऊराव राऊत और श्री संजय जाधव द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के भाग (क) से (ञ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	मुंबई सिटी	1411376
2.	मुंबई उपनगर	2922482
3.	औरंगाबाद	806582
4.	बीड	6152
5.	धुले	50293
6.	जलगांव	193683
7.	जालना	46258
8.	लातूर	17013
9.	नांदेड़	49777
10.	उस्मानाबाद	4766
11.	परभनी	4898
12.	पालघर	474994
13.	ठाणे	2313184
14.	अकोला	49064
15.	अमरावती	239796
16.	भंडारा	2340
17.	बुलढाना	19103
18.	चंद्रपुर	143493
19.	गोंदिया	33698
20.	नागपुर	871976
21.	वर्धा	81265
22.	यवतमाल	28745
23.	अहमदनगर	153366
24.	नासिक	847713
25.	कोल्हापुर	452302
26.	पुणे	4738414
27.	सांगली	138311
28.	सतारा	283915
29.	सोलापुर	198281
30.	रायगढ़	695850
31.	सिंधुदुर्ग	5513
32.	रत्नागिरि	2695
33.	वाशिम	उपलब्ध नहीं
34.	गडचिरोली	उपलब्ध नहीं
35.	हिंगोली	उपलब्ध नहीं
36.	नंदुरबार	उपलब्ध नहीं
	कुल संख्या	**17287299**

*****